23/9/24 पत्रावलि प्रस्तुत हुई। प्रा०प० पर
विगत तारीख पेशी पर बहस सुनी
जा चुकी है। प्रार्थी ने प्रा.प. अन्तर्गत धारा –

न्यायालय सहा० कलक्टर, मुण्डा... 212RTA

श्रीराम बनाम गोकल

212 राज.काश्त.अधि., आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा-151 जा०दी० द्वारा आशय का प्रस्तुत किया है कि विवादित आराजी ख० नं० 407 व 408 जो कि ग्राम शामदा की सीमाहद पर स्थित है तथा अप्रार्थी सं०-1 वादे ग्राम शामदा का रहने वाला है, जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम का बेजा फायदा उठाकर, ग्राम शामदा से विवादित आराजी में वाके ग्राम शामदा से विवादित आराजी तक रास्ता कायम करना चाहते है जबकि अप्रार्थी सं.-1 को विवादित आराजी में रास्ता कायम करने का हक व अधिकार नहीं है। इसलिए अप्रार्थी को ~~कोई जबरन रास्ता~~ तात्कालिक ~~आराजी पर~~ अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वह विवादित आराजी पर कोई जबरन रास्ता कायम नहीं करे, ना ही भिन्न प्रार्थीगण को उनके हिस्से कि विवादित आराजी से बेदखल करें, कब्जा न करें ना ही भिन्न प्रार्थी के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करे व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रा०प० पर प्रार्थी को एकतरफा सुना जाकर आदेशिका दिनांक 28/03/2023 से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी थी।

प्रा.प. पर अप्रार्थी सं.-1 एवं वाद फा में वादी स०-17 ने इस आशय का जवाब प्रस्तुत प्रस्तुत किया है कि शामिलाती आराजी जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का बहमी बंटवारा है

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (खैरथल)

राजस्थान सरकार

सहा० कलेक्टर — कैरपल-तिजारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला - अलवर (राज0)

उनवान

श्रीराम .... बनाम .... गोकल

केस्म मुकदमा ... प्रा. प. ... अन्तर्गत धारा ... 212 राज. काश्त. अधिनियम

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	हो रहा है तथा सभी काश्तकार बहामी बंटवारा अनुसार आराजी पर काबिज है तथा काश्त करते चले आ रहे है। यह है कि आराजी ख.न. 407 व 408 वाके ग्राम शामदा की सीमासन्द पर है तथा अप्रार्थी स.-1 शामदा का रहने वाला है। मिन अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से आराजी में अपने नाम का फायदा उठाकर कोई रास्ता कायम नहीं करना चाहता है, बल्कि पूर्व में नरेगा कार्यक्रम के से उक्त रास्ता तीन बार निर्मित हो चुका है तथा अब यह रास्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण कराया जा रहा है, जो रास्ता ख.न. 707 व 708 के दक्षिण में है तथा हमारे आ.ख.न. 1193 व 1196 है जिसमें मिन प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। वास्तविकता यह है कि सा.नि.वि. द्वारा सड़क निर्माण कार्य चालू करने पर वादीगण द्वारा सड़क का निर्माण रुकवाने की नीयत से मिथ्या तथ्यों पर दावा पेश किया है जबकि हम प्रतिवादीगण द्वारा कभी भी रास्ता कायम करने का प्रयास नहीं किया है तथा न ही प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी पर कब्जा किया तथा ना ही कोई धमकी दी है, इसलिए वादीगण को वाद हेतुक कोई बिनायदावा व बिनायमुखासमत	

सहायक कलक्टर (कैम्प) मुण्डावर (कैरपल-तिजारा)

तारीख हुकम	न्यायालय सहा० कल० मुण्डावर हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्रीराम बनाम गोकल	RT Act 212	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म में जारी
	पैदा नहीं होती है इसलिए प्रार्थीगण का प्रा.प. मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें। बहस अधिवक्ता प्रार्थी व वाद्विक अप्रार्थी की सुनी गयी। दौरान बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा०प० के कथनों का दोहराव किया तथा मुख्यतः कथन किया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अथवा अप्रार्थी द्वारा उसकी सहखातेदारी की आराजी में किसी प्रकार के रास्ते या सड़क का निर्माण कार्य नहीं किया जावें। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रा.प. के कथनों का दोहराव किया तथा मुख्यतः कथन किया कि पहले से ही नरेगा के तहत रास्ता बनाया गया था और इस प्रचलित रास्ते/रोड से स्कूल, ग्राम पंचायत तक आम जनता के आने जाने का रास्ता है, इसलिए इसके उपयोग पर किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं लगायी जावें। पत्रावलि का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। इसके उपरान्त यह न्यायालय यह पाता है कि प्रार्थी का प्रा०प० है कि उसकी सहखातेदारी की आराजी से किसी प्रकार का रास्ता / रोड़ कायम नहीं किया जावें तथा उसके कब्जे काश्त में मदाखलत न की जावें, मौका व रिकार्ड की यथा-स्थिति रखी जावें। अप्रार्थी के जवाब व बहस के अनुसार रास्ता विवादित ख.नं. 407, 408 के दक्षिण में तथा उनके ख.नं.		

सहायक कलेक्टर (...)
मुण्डावर (...)

सहायक कलै० राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला - अलवर (राज0) ~~खैरथल तिजारा~~

उनवान

श्रीराम बनाम झोकल

किस्म मुकद्मा ...रजस्व स्था.पं.... अन्तर्गत धारा ...212 राज. काश्त. अधि०...

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1193 व 1196 से है। इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 28/3/2023 से जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा में इस प्रकार संशोधन किया जाता है कि विवादित खा० ख० नं० 407, 408, 401, 402, 403, 404, 405 वाके ग्राम झझारपुर तहसील मुण्डावर मे जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी की एकभक्त आराजी है मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे अप्रार्थीगण किसी प्रकार का व्यवधान कारित नही करेंगे, बेदखल नहीं करेंगे, कब्जा नही करेंगे। परन्तु यदि आराजी खसरा नम्बरान मे से कोई प्रचलित रास्ता रहा है तो उसके उपयोग पर किसी को कोई पाबन्दी नहीं होगी। इसी प्रकार यदि अप्रार्थीगण अपने जवाब स्था.प. मे अंकित खा.ख.नं. 1193, 1196 जो यदि उनकी अथवा प्रार्थी से भिन्न खातेदारों की है तो खातेदारों की सहमति से उस पर सा०नि०वि० द्वारा रास्ता कायम करने पर स्वतन्त्र रहेंगे। उक्त आदेश को तात्कालिक वाद संपुष्ट (confirm) किया जाता है। यदि प्रचलित रास्ते की अवस्थिति के संबंध में स्थिति स्पष्ट होने मे कोई दुविधा हो तो प्रार्थी नियमानुसार सीमाज्ञान करवाने के लिए स्वतन्त्र रहेगा। यह निर्णय आज दिनांक 23/01/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय	

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

तारीख हुक्म	न्यायालय सहा. कलेक्टर मुण्डावर हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्रीराम बनाम गोकल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	में सुनाया गया। पत्रावलि फैजल शुमार शुमार हो, नम्बर से कम होकर दाखिले दफ्तर हो पत्रावलि मूल वाद के संलग्न रहे। [signature] सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०) मुण्डावर (कोटकासिम-तिजारा)	